मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत अधिप्राप्ति हेतु
विद्युत–दर आदेश (स्वप्रेरणा याचिका एसएमपी–77/2011 के अंतर्गत)

(Tariff Order For procurement of power from Biomass based power projects Suo Moto petition No. SMP-77/2011)

मार्च, 2012

1 वैधानिक प्रावधान (Legislative provisions) :

1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 (या अधिनियम) की धारा 86(1) (ई) द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों को किसी व्यक्ति को विद्युत ग्रिड के साथ संयोजन (connectivity) तथा उसके विक्रय के लिये उपयुक्त साधन उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत सह–उत्पादन और उत्पादन और ऐसे स्त्रोतों से विद्युत के क्रय के लिये किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय किये जाने हेतु अधिदिष्ट (mandate) किया गया है। विद्युत नियामक आयोगों को विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत की खपत का निर्धारित प्रतिशत ऐसे स्त्रोतों से विद्युत का क्रय किया जाना विनिर्दिष्ट करना होता है। इसके अतिरिक्त भी, अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत आयोगों को किसी विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को प्रदाय की जा रही विद्युत को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु शक्ति भी प्रदान की गई है। इसके अलावा, धारा 61 में प्रावधान है कि आयोग द्वारा विद्युत–दर के अवधारण हेतु निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट की जाएंगी तथा ऐसा करते समय वह उक्त धारा की कण्डिकाओं (क) से (झ) द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। धारा 61(ज) तथा 61(झ) को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

" 61 टैरिफ विनियम– समुचित आयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए टैरिफ के अवधारण के लिये निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा तथा ऐसा करते समय निम्नलिखित से मार्गदर्शित होगा, अर्थात्

(क) ....
(ख) ....
(ग) ....
(घ) ....
(ड.) ....
(च) ....
(छ) ....
(ज) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन और उत्पादन का संवर्धन,
(झ) राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति।

1.2 ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोतों से संबंधित सह उत्पादन को सम्मिलित करते हुए, टैरिफ नीति की धारा 6.4 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

(1) अधिनियम की धारा 86(1)(ङ) के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की उपलब्धता और फुटकर टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे संसाधनों से ऊर्जा क्रय को न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित कर सकता है। ऊर्जा खरीद के लिए ऐसा प्रतिशत अंततः 01 अप्रैल, 2006 तक विद्युत नियामक आयोगों द्वारा निर्धारित की जाने वाली टैरिफ पर लागू होगा।

विद्युत कीमत के संदर्भ में अपरंपरागत तकनीकें परंपरागत साधनों के साथ मुकाबला कर सके इसमें कुछ समय लगेगा। अतः वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत का अर्जन उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

(2) भावी जरूरतों के लिए ऐसा अर्जन वितरण लाइसेंसियों द्वारा यथासंभव आपूर्तिकर्त्ताओं के उसी प्रकार अपारंपिक ऊर्जा स्रोत प्रस्तावों के तहत अधिनियम के खंड 63 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। दीर्घावधि में इन प्रौद्योगिकियों को लागत के मामले में अन्य स्रोत के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।

(3) केन्द्रीय आयोग को अपारंपरिक साधनों से अनिश्चित विद्युत के मूल्य निर्धारण हेतु तीन महीने के भीतर दिशानिर्देश जारी करना चाहिए। इसका अनुसरण ऐसे मामलों में किया जाएगा जहां पर विद्युत का अर्जन प्रतियोगी बोली के माध्यम से नहीं है।

2 प्रक्रियात्मक इतिहास तथा विद्युत–दर (टैरिफ) के पुनर्निधारण की आवश्यकता (Procedural History and Need for Re-setting the Tariff) :

2.1 आयोग द्वारा पूर्व में भी दिनांक 7.8.2007 को बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु एक विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी किया गया था। इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की नियंत्रण अवधि दिनांक 31.3.2012 तक वैध थी।

2.2 अतएव, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(सी) तथा (ई) तथा सहपठित धारा 62(1) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों के सामर्थ्य में, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, इस आदेश के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा राज्य में बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों से कैप्टिव उपयोग अथवा तृतीय पक्षकार विक्रय हेतु, निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित करते हुए विद्युत क्रय हेतु विद्युत–दर (टैरिफ), अधिप्राप्ति प्रक्रिया तथा संबंधित विद्युत क्रय हेतु संबंधित व्यवस्था का अवधारण करता है।

3 अपनाई गई विनियामक प्रक्रिया (Regulatory Process Adopted) :

3.1 आयोग द्वारा दिनांक 14.12.2011 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसके माध्यम से समस्त हितधारकों से दिनांक 10.1.2012 तक अवधारणा पत्र (approach paper) "Tariff for Procurment of Power from Biomass Based Power Projects" अर्थात् ''बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं से ऊर्जा की अधिप्राप्ति के संबंध में विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण'' हेतु मानदण्डों के निर्धारण के बारे में टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित किये गये थे। वे हितधारक जिनके द्वारा लिखित में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं, की सूची परिशिष्ट–1 में

दर्शाई गई है। इस मामले में एक जनसुनवाई का आयोजन दिनांक 17.01.2012 को किया गया। ऐसे सहभागियों की सूची जिन्होंने जनसुनवाई में भाग लिया तथा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, परिशिष्ट–2 में संलग्न की गई है।

3.2 नवीन निबंधन तथा शर्तों तथा तत्पश्चात् 'बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत–दर (टैरिफ) की अवधारणा' हेतु आयोग द्वारा अन्य राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों द्वारा जारी टैरिफ आदेशों, विभिन्न स्त्रोतों से बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में तथ्यों, केविनिआ द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण बाबत् मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नीति–निर्देशों का विश्लेषण किया गया है। तदनुसार, आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की अर्हताओं की पूर्ति हेतु निम्न आदेश जारी करता है :

4. आदेश की प्रयोज्यता (Applicability of the Order) :

4.1 यह विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत इस आदेश को जारी होने की तिथि को अथवा इसके तत्पश्चात् क्रियाशील की गई समस्त नवीन बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत के विक्रय हेतु लागू होगा। यह आदेश कैप्टिव प्रयोक्ता अथवा तृतीय पक्षकार को विद्युत के विक्रय हेतु [विद्युत–दर (टैरिफ) से अलग] निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करता है।

4.2 ऐसे प्रकरणों में, जहां विकासक (Developer) द्वारा विद्युत क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement) का निष्पादन किया जा चुका है परन्तु इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व संयंत्र को क्रियाशील नहीं किया गया है, इस विद्युत–दर (टैरिफ) की निबंधन तथा शर्तें उन परियोजनाओं पर भी लागू होंगी तथा इस हेतु विकासक तथा अधिप्राप्तिकर्ता (Procurer) को तदनुसार एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementry Agreement) करना अनिवार्य होगा।

4.3 इस आदेश के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं हेतु पृथक रूप से विद्युत दर (टैरिफ) भी निर्दिष्ट किया गया है।

5. विद्युत–दर (टैरिफ) समीक्षा अवधि/नियंत्रण अवधि (Tariff Review Period/Control Period):

5.1 इस विद्युत–दर की नियंत्रण अवधि इस आदेश के जारी होने से आरंभ होकर दिनांक 31.3.2014 (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013–14 के समाप्त होने पर) को समाप्त होगी। आगामी नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत–दर का अवधारण पृथक से किया जाएगा तथा यदि आगामी नियंत्रण अवधि हेतु उसके प्रारंभ होने से पूर्व, विद्युत–दर का अवधारण नहीं किया जाता है तो इस आदेश के अनुसार विद्युत–दर जारी तथा प्रभावशील रहेगी जब तक पुनरीक्षित विद्युत–दर का अवधारण नहीं कर लिया जाता। इस आदेश के अंतर्गत निर्णीत विद्युत दर द्विभाग विद्युत दर (Two Part Tariff)

यथा, स्थाई विद्युत–दर (Fixed Tariff) तथा परिवर्तनीय विद्युत–दर (Variable Tariff) है। स्थाई विद्युत दर ऐसी समस्त परियोजनाओं को लागू होगी जो उपरोक्त उल्लेखित अवधि के अंतर्गत क्रियाशील (Commission) की जाती है तथा यह विद्युत–दर बीस वर्ष की परियेाजना कालावधि हेतु वैध रहेगी। परिवर्तनीय विद्युत–दर का अवधारण इस आदेश के जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि हेतु किया गया है। आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2013 के उपरांत आने वाले प्रत्येक वर्ष के माह मार्च में नये सिरे से (फिर से) ईंधन दरों पर विचारोपरांत आगामी वर्ष हेतु परिवर्तनीय विद्युत दर घोषित की जाएगी।

मानदण्डों का निर्धारण (Bench Marking)

5.2 मानदण्डों के निर्धारण में सामान्यतः प्रत्येक परियोजना हेतु मूल्यांकन, विस्तृत परीक्षण तथा प्रत्येक लागत मानदण्ड का अवधारण पृथक–पृथक किया जाना आवश्यक होता है। परियेाजनाओं के अंतर्गत भी विभिन्न मानदण्डों के मूल्यों में, जैसे कि संयंत्र क्षमता, स्थिति, परियोजना लागत, वित्त प्रबंध योजना आदि के संबंध में उल्लेखनीय विषमताएं हैं।

5.3 मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे विस्तृत आकड़ों की उपलब्धता के अभाव में, मानदण्ड निर्धारण के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है :

अ) विभिन्न राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेशों का विश्लेषण।

ब) बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण।

स) भारत सरकार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्रालय की 'भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी' तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नीतियां तथा दिशा–निर्देश।

5.4 वे ऊर्जा परियोजनाएं जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में अभी भी विकास के अपने शैशव–काल में हैं, में पूंजीनिवेश को आकर्षित करने हेतु परियोजना विकासकों (Project Developers), निवेशकों तथा ऋण प्रदायकों के परिप्रेक्ष्य में टैरिफ के निर्धारण में विनियामक स्पष्टीकरण तथा निश्चिंतता का होना अनिवार्य है। अतएव, जबकि बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं में एक समान विद्युत–दर का निर्धारण किया जाना महत्वपूर्ण है, इसके साथ–साथ ही इसका आधार (premise) तथा औचित्य स्पष्ट किया जाना भी महत्वपूर्ण है। आयोग द्वारा एक 'मानदण्डीय टैरिफ अवधारण' दृष्टिकोण का निर्धारण किया गया है तथा मानदण्ड अनुपालन मापदण्डों पर विद्युत उत्पादन की लागत की गणना की गई है।

एकल भाग बनाम द्विभाग विद्युत–दर (Single Part Vs Two Part Tariff) :

5.5 सामान्यतः, द्विभाग विद्युत दर का अनुप्रयोग विद्युत–दर के स्थाई तथा परिवर्तनीय घटकों के माध्यम से पृथक रूप से स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों की वसूली हेतु किया जाता है। यह पद्धति सुयोग्यता क्रम के प्रेषण (merit order despatch) परिदृश्य में विशेष रूप से उपयोगी है।

5.6 ऊर्जा के नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम क्रय आबन्ध (minimum purchase obligation) मप्रविनिआ (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2010 में निर्दिष्ट की गई है। इस प्रकार परियोजनाओं को 'प्राथमिकता युक्त परियोजनाएं (Must Run Projects)' निरूपित किया गया है। आयोग द्वारा विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि विद्युत–दर के स्थायी तथा परिवर्तनीय विद्युत–दर घटक, अर्थात द्विभाग विद्युत–दर बायोमास आधारित ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अतएव आयोग द्वारा द्विभाग विद्युत–दर विधि को अपनाया गया है।

परियेाजना विशिष्ट अथवा सामान्य विद्युत–दर (Project Specific or Generalized Tariff) :

5.7 एक सामान्य प्रकार की विद्युत–दर (टैरिफ) कार्यविधि सर्वाधिक दक्ष उपकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु तथा सर्वाधिक दक्ष स्थल चयन हेतु पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। परियोजना विशिष्ट विद्युत–दर निर्धारण की प्रक्रिया काफी बोझिल तथा समय नष्ट करने वाली होगी। अतएव, समस्त बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एक सामान्य (generatized) विद्युत–दर के प्रयोग का निर्णय लिया गया है ।

वार्षिक अथवा सन्तुलित विद्युत–दर (Yearly or Levelized Tariff) :

5.8 आयोग ने पूर्व में जारी किये गये विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के अंतर्गत पवन विद्युत उत्पादकों (Wind Electric Generators) तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं से ऊर्जा की अधिप्राप्ति के लिये संतुलित विद्युत दरें (levelized tariff) अवधारित की थीं। बायोमास के प्रकरण में आयोग के पूर्व में जारी टैरिफ आदेश के अंतर्गत परियोजना जीवनकाल के प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक विद्युत–दर (टैरिफ) विनिर्दिष्ट की गई थी। बायोमास ऊर्जा के संबंध में जहां परिवर्तनीय व्ययों पर अधिक व्यय किया जाना अपेक्षित होता है, देखा गया है कि संतुलित वार्षिक विद्युत–दर की गणना की राशि प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक आती है जबकि बाद के वर्षों में ठीक इसके विपरीत कम आती है। चूंकि राज्य में इस प्रकार की अधिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया है, ऐसी उचित विपणन कार्यविधि (proper market mechanism) जो बायोमास ईंधनों की लागत को स्थापित करेगी, अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। इस प्रकार, आयोग द्वारा पूर्व की विद्युत–दरों से संरेखित वर्ष–दर–वर्ष स्थायी व्ययों तथा परिवर्तनीय व्ययों हेतु विद्युत–दर की गणना किये जाने को जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

6. विद्युत–दर रूपांकन (Tariff Design) :

6.1 विनियामक फोरम (फोरम ऑफ रेगुलेटर्स) द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों संबंधी नीतियों हेतु गठित कार्यदल द्वारा अपनी अनुशंसाओं में सुझाव दिया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों हेतु युक्तियुक्त मानदण्डों पर आधारित सलाभ परिव्यय (cost plus) विद्युत–दर को अपनाया जाना चाहिए। उपरोक्त अनुशंसाओं पर विचार करते हुए, आयोग द्वारा बायोमास विद्युत ऊर्जा के टैरिफ अवधारण हेतु सलाभ परिव्यय आधार पर अधिमान्य संव्यवहार की कार्यविधि अपनायी गयी है। एक सलाभ परिव्यय की अवधारणा हेतु, मुख्य तत्व जो किसी परियोजना हेतु विद्युत–दरों का अवधारण करते हैं, का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है :

- पूंजीगत लागत (Capital Cost) (विद्युत निष्क्रमण अधोसंरचना की लागत को सम्मिलित करते हुए)
- ऋण–लागत अनुपात (Debt-Equity Ratio)
- स्थाई लागत (Fixed Cost)
  (क) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)
  (ख) ऋण पर ब्याज (Interest on debt)
  (ग) अवमूल्यन/अवक्षयण (depreciation)
  (घ) संचालन एवं संधारण लागत (Operation & Maintenance Cost)
  (ड.) कार्यकारी–पूंजी पर ब्याज (Interest an Working Capital)
- परिवर्तनीय लागत (Variable Cost)
  ईंधन की लागत (Cost of Fuel)
- प्रचालन मानदण्ड (Operation Norms)

(क) संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor)
(ख) स्टेशन ऊष्मा दर (Station Heat Rate)
(ग) सकल उष्मित मूल्य (Gross Calorific Value)
(घ) सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Power Consumption)

पूंजीगत लागत (विद्युत निष्क्रमण अधोसंरचना लागत को सम्मिलित करते हुए) [Capital Cost (including Cost of Power evacuation Infrastructure)] :

6.2 विद्युत–दर के अवधारण में पूंजीगत लागत सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। इस घटक में भूमि, संयंत्र व मशीनरी, सिविल कार्य, संस्थापना तथा क्रियाशील व्ययों की लागत विद्युत निष्क्रमण की लागत तथ अन्य संबंधित व्यय शामिल होते हैं।

6.3 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी अपने अवधारणा–पत्र (Approach Paper) में रू. 4.5 करोड़ प्रति मेगावाट (विद्युत निष्क्रमण लागत को सम्मिलित करते हुए) प्रस्तावित की गई थी। विभिन्न हितधारकों द्वारा जल–कूलन प्रणाली हेतु पूंजीगत लागत रू. 5.25 करोड़ प्रति मेगावाट से लेकर रू. 6.00 करोड़ प्रति मेगावाट तथा वायु–कूलन प्रणाली हेतु रू. 6.75 करोड़ प्रति मेगावाट का उल्लेख किया गया है। तथापि, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा रैकिंग सायकल प्रणाली हेतु रू. 4.45 करोड़ प्रति मेगावाट तथा रू. 5.50 करोड़ प्रति मेगावाट गैसीफिकेशन परियोजना हेतु तथा रू. 4.00 करोड़ प्रति मेगावाट सहायता अनुदान (subsidy) के साथ प्रस्तावित की गई है। इन लागतों में ऊर्जा निष्क्रमण की लागत को शामिल किया गया है।

6.4 मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12.10.2011 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु, विद्युत का निष्क्रमण परियोजना का एकीकृत भाग होगा तथा विद्युत निष्क्रमण सुविधाएं संबंधी समस्त लागतें विकासक (Developer) द्वारा वहन की जाएंगी।

आयोग का दृष्टिकोण :

6.5 परियोजना की लागत में विभिन्न कारकों के कारण अंतर आता है, जिनमें शामिल हैं परियोजना की स्थिति, इकाईयों का मूल्यांकन, कुल क्षमता, प्रौद्योगिकी, रूपांकित क्षमता, उपयोगिता कारक, आदि। अतएव, विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन से एक समान आधार के अनुसार एक युक्तियुक्त परियोजना लागत पर विचार किया जाना उचित होगा।

6.6 आयोग द्वारा दिनांक 7.8.2007 को जारी अपने आदेश में रू. 4.25 करोड़ प्रति मेगावाट की पूंजीगत लागत (अधोसंरचना की लागत को सम्मिलित करते हुए) मानी गई थी।

6.7 जनसुनवाई के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा पूंजीगत लागत राशि को लगभग रू. 5.50 करोड़ प्रति मेगावाट रखे जाने का निवेदन किया गया है। आयोग द्वारा देखा गया कि विभिन्न हितधारकों द्वारा भिन्न प्रकार के विचार अभिव्यक्त किये थे। तथापि, परियेाजना विकासकों (Project Developers) द्वारा अपने–अपने प्रस्तावित पूंजीगत लागत दावों के प्रमाणीकरण हेतु मदवार लागत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये थे। आयोग के पास उपलब्ध विभिन्न आंकड़ों पर विचार करते हुए, आयोग का यह दृष्टिकोण है कि सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि हेतु 2 मेगावाट क्षमता तक की समस्त बायोमास परियोजनाओं के लिए परियेाजना स्थल से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निकटतम 33/11 केवी उपकेन्द्र तक, तथा 2 मेगावाट क्षमता से अधिक की परियोजनाओं के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के निकटतम 132/33 केवी उपकेन्द्र तक, ऊर्जा के निष्क्रमण से संबद्ध लागत को सम्मिलित करते हुए **रू. 4.50 करोड़ प्रति मेगावाट** की पूंजीगत लागत को अपनाया जाना युक्तिसंगत होगा।

ऋण–पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio) :

6.8 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी किये गये अपने अवधारणा–पत्र के अंतर्गत ऋण–पूंजी अनुपात 70 : 30 के अनुसार प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा भी 70 : 30 का अनुपात रखे जाने का सुझाव दिया गया है। टैरिफ नीति की कण्डिका 5.3 (बी) में भी विद्युत परियेाजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत 70 : 30 के अनुपात की अवधारणा की गई है। आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश दिनांक 7.8.2007 के अंतर्गत ऋण–पूंजी अनुपात 70:30 माना गया है। विभिन्न हितधारकों द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया में इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन जताया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

6.9 अतएव, आयोग द्वारा भी ऋण–पूंजी का अनुपात 70 : 30 ही माना गया है।

स्थाई लागत

(क) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) :

6.10 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी किये गये अपने अवधारणा पत्र में पूंजी पर प्रतिलाभ 16 प्रतिशत कर पूर्व आधार पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया था। जनसुनवाई के दौरान, विभिन्न हितधारकों ने यह आकड़ा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी किये अपने विनियमों के अनुसार 20 प्रतिशत से 24 प्रतिशत कर पूर्व रखे जाने का सुझाव दिया गया है। आयोग द्वारा, तथापि, पूर्व में जारी आदेश दिनांक 7.8.2007 में पूंजी पर कर पूर्व प्रतिलाभ 16 प्रतिशत की दर से रखा जाना स्वीकृत किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा से संबंधित अपने टैरिफ आदेशों के अनुरूप बायोमास परियोजनाओं के लिए भी पूंजी पर 16 प्रतिशत कर पूर्व प्रतिलाभ (RoE) रखे जाने को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया है।

(ख) ऋण पर ब्याज (Interest on Debt)

6.11 आयोग द्वारा माह दिसंबर 2011 में जारी किये गये अपने अवधारणा पत्र में ऋण पर ब्याज 12 प्रतिशत की दर से प्रस्तावित किया गया था। केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों के अंतर्गत ऋण पर ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की दीर्घ अवधि प्रधान ऋण दर 150 आधार बिन्दु जोड़कर (Long Term Prime Lending Rate Of SBI Plus 150 basis points) का प्रावधान किया गया है। विभिन्न हितधारकों द्वारा ऋण पर ब्याज की वार्षिक दर 11 प्रतिशत से

16 प्रतिशत की सीमाओं के अंतर्गत अथवा केविनिआ द्वारा दिनांक 16.09.2009 को जारी की गई अनुशंसाओं के अनुसार प्रस्तावित की गई है। आयोग द्वारा दिनांक 7.8.2007 को जारी किये गये पूर्व आदेशों में ब्याज की दर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष मानी गई थी।

आयोग का दृष्टिकोण

6.12 आयोग का विचार है कि दोनों जमा राशियों तथा ऋणों हेतु ब्याज की दरों में बारंबार समय–समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अतएव, आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 12 प्रतिशत मानी गई है। निवेशकर्ता को सस्ती दर पर ऋणों की प्राप्ति द्वारा प्रसुविधाओं यदि कोई हों, को धारित रखे जाने हेतु भी अनुज्ञेय किया गया है।

(ग) अवक्षयण/अवमूल्यन (Depreciation) :

6.13 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी अपने चर्चा–पत्र के अंतर्गत अवक्षयण/अवमूल्यन की दर प्रथम 10 वर्ष हेतु 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा अवशेष 20 प्रतिशत को 11 वर्षो के उपरांत संयंत्र के 10 वर्षों के अवशेष जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा भी अवमूल्यन दर प्रथम दस वर्षों हेतु 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रथम दस वर्ष हेतु तथा अवशेष 20 प्रतिशत आगामी 10 वर्षों के दौरान प्रसारित किये जाने का सुझाव दिया गया है। केविनिआ की अनुशंसाएं भी इसी के अनुरूप हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

6.14 आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन हेतु, प्रथम दस वर्षों के लिये 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर माना जाना युक्तिसंगत होगा ताकि ऋण की अदायगी की जा सके तथा अवशेष 20 प्रतिशत का अवमूल्यन आगामी 10 वर्षों के दौरान किया जाएगा ताकि परिसम्पत्ति का अवमूल्यन 20 वर्षों के जीवनकाल के दौरान उसके प्रारंभिक मूल्य के दस प्रतिशत तक सीमित रखा जा सके।

(घ) संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses) :

6.15 संचालन तथा संधारण व्ययों में जनशक्ति (manpower) संबंधी व्यय, बीमा व्यय, कलपुर्जे तथा मरम्मत, उपभोज्य वस्तुओं (consumables) पर व्यय तथा अन्य व्यय (विधिक शुल्क, आदि) शामिल होते हैं। आयोग द्वारा दिनांक 7.8.2007 को जारी किये गये अपने पूर्व के आदेशों में प्रथम वर्ष हेतु पूंजीगत लागत के 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा तत्पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धियां मानी गई थीं।

6.16 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी अपने अवधारणा–पत्र में प्रथम वर्ष हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय पूंजीगत लागत का 4 प्रतिशत तथा तत्पश्चात 5.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर

प्रस्तावित की गई थी। विभिन्न हितधारकों द्वारा संचालन तथा संधारण व्यय 4 से 5.5 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत, 5.72 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सीमा के अंतर्गत प्रस्तावित किये गये हैं।

6.17 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों के अंतर्गत संचालन एवं संधारण व्यय प्रथम वर्ष के लिए पूंजीगत लागत का 4 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 5.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि का सुझाव दिया है।

आयोग का दृष्टिकोण

6.18 हितधारकों के दृष्टिकोण तथा केविनिआ की अनुशंसाओं दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम वर्ष के दौरान संचालन एवं संधारण व्यय परियोजना लागत के 4 प्रतिशत की दर से तथा तत्पश्चात् प्रतिवर्ष 5.72 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुज्ञेय किया जाना उचित होगा।

(ड.) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital) :

6.19 आयोग द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश दिनांक 7.8.2007 के अंतर्गत कार्यकारी पूंजी पर 13.75 प्रतिशत ब्याज की दर का प्रावधान किया गया था। केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों के अंतर्गत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, भारतीय स्टेट बैंक की लघु–अवधि प्रधान ऋण प्रदाय दर में 100 बिन्दु जोड़कर (Short Term Prime Lending Rate of SBI Plus 100 points) का अनुमोदन किया गया है तथा कार्यकारी पूंजी की गणना में निम्न मानदण्डों का अनुप्रयोग किया जाएगा :

(अ) एक माह हेतु संचालन तथा संधारण व्यय

(ब) दो माह के ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्य सामग्रियां (Receivables)

(स) कल पुर्जों का संधारण, संचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से

(द) चार माह की ईंधन लागत

6.20 आयोग द्वारा अपने अवधारणा पत्र (Approach Paper) के अंतर्गत पूंजी की आवश्यकता, केवल कलपुर्जों के संधारण पर व्यय को छोड़कर, उपरोक्त दर्शाये अनुसार प्रावधान किया गया है।

6.21 विभिन्न हितधारकों द्वारा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर 16 प्रतिशत या फिर केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी किये गये मानदण्डों के अनुसार रखे जाने का सुझाव दिया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

6.22 आयोग द्वारा विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि कार्यकारी पूंजी की राशि की गणना निम्न मानदण्डों को अपनाते हुए तथा उस पर 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर के अनुप्रयोग द्वारा की जाएगीः

(अ) एक माह हेतु संचालन तथा संधारण व्यय

(ब) मानदण्डीय संयंत्र भार कारक (normative PLF) पर आधारित दो माह के ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्य सामग्रियां (Receivables)

(स) संधारण कलपुर्जे, संचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से

(द) चार माह हेतु ईंधन की लागत

परिवर्तनीय लागत (Variable Cost) :

ईंधन की लागत

6.23 उपयोग किये जा रहे ईंधन का मूल्य, अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्न कारकों, जैसे कि उपयोग किये जा रहे ईंधन के मिश्रण, ईधन के प्रकार, इसकी उपलब्धता तथा संयंत्र की स्थिति आदि पर निर्भर करते हुए परिवहन लागत तक सीमित नहीं होती। आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश दिनांक 7.8.2007 में, ईंधन की भारित लागत पर निर्भर, ईंधन की कीमत को रू. 1181 प्रति मीट्रिक टन माना गया था जिसमें कोयला मिश्रण की दर 15 प्रतिशत रखी गई थी । बायोमास का विक्रय तथा उसका परिवहन एक उच्च असंगठित क्षेत्र (highly unorganised sector) के अंतर्गत संचालित किया जाता है, अतएव इसके मूल्य विभिन्न स्थानीय कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। इन कीमतों का विस्तार क्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक है। इसके अतिरिक्त, बायोमास के वास्तविक मूल्य को ज्ञात करने की कोई स्थापित कार्यविधि भी नहीं है।

6.24 आयोग द्वारा जारी अपने अवधारणा पत्र में ईंधन का मूल्य रू. 2000 प्रति मीट्रिक टन प्रस्तावित किया गया था।

6.25 विभिन्न हितधारकों द्वारा ईधन का मूल्य रू. 1507 प्रति मीट्रिक टन से लेकर रू. 3200 प्रति मीट्रिक टन रखा जाना प्रस्तावित किया गया है तथा इसमें 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि भी प्रस्तावित की गई है। कार्यालय आयुक्त, नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों के प्रतिवेदनों पर आधारित आधार ईंधन मूल्य की दर रू. 2864/– प्रति मीट्रिक टन रखे जाने का सुझाव दिया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

6.26 आयोग द्वारा, हितधारकों के सुझावों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि बायोमास का मूल्य इसकी स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, निर्णय लिया गया है कि बायोमास का मूल्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक, टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु रू. 2100 प्रति मीट्रिक टन रखा जाए जिसमें 15 प्रतिशत जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) की लागत का उपयोग किया जाना भी अनुज्ञेय किया जाए। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ईंधन की लागत अनुवर्ती अवधि हेतु वर्ष–दर–वर्ष प्रतिवर्ष माह मार्च में आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्व अवधारित की जाएगी।

प्रचालन मानदण्ड (Operating Norms)

(क) संयत्र का जीवनकाल (Plant life)

6.27 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी अपने अवधारणा पत्र में संयंत्र का जीवनकाल 20 वर्ष प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा भी 20 वर्ष का संयंत्र जीवनकाल प्रस्तावित किया गया है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों में भी जीवनकाल की अवधि 20 वर्ष मानी गई है। आयोग द्वारा दिनांक 7.8.2007 को जारी अपने पूर्व के आदेशों में भी 20 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल माना गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

6.28 आयोग द्वारा हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचारोपरांत टैरिफ अवधारण हेतु संयंत्र की जीवनकाल 20 वर्ष माना गया है।

(ख) संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor)

6.29 संयंत्र भार कारक (PLF) अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उपयोग की गई प्रौद्योगिकी, क्षमता तथा स्थापित की गई मशीनों का जीवनकाल, उपयोग किये गये ईंधन, आदि।

6.30 केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों में स्थिरीकरण अवधि के दौरान संयंत्र भार कारक (PLF) 60 प्रतिशत, प्रथम वर्ष की अवशेष अवधि के दौरान 70 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष से आगे की अवधि के लिये 80 प्रतिशत रखे जाने का सुझाव दिया गया है। इससे पूर्व, आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 7.8.2007 के अंतर्गत संयंत्र भार कारक 70 प्रतिशत माना गया था।

6.31 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी किये गये अपने अवधारणा पत्र में प्रचालन के प्रथम वर्ष के दौरान संयंत्र भार कारक (PLF) 65 प्रतिशत जिसमें स्थिरीकरण अवधि को भी शामिल किया गया है तथा इसके पश्चात् द्वितीय वर्ष से आगे की अवधि के लिये इसे 80 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रथम वर्ष के दौरान संयंत्र भार कारक 60 से 65 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष से आगे की अवधि के लिये इसे 70 से 80 प्रतिशत रखा गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

6.32 आयोग द्वारा जनसुनवाई के दौरान हितधारकों के विचारों पर यथोचित विचार करते हुए केविनिआ की अनुशंसाओं को संयंत्र भार कारक(PLF) के संबंध में अपनाए जाने का निर्णय लिया है :

(i) *स्थिरीकरण अवधि के दौरान : 60 प्रतिशत

(ii) प्रथम वर्ष में (स्थिरीकरण अवधि के बाद) प्रथम वर्ष की अवशेष अवधि के दौरान : 70 प्रतिशत

(iii) द्वितीय वर्ष से आगे की अवधि में : 80 प्रतिशत

*टीप : स्थिरीकरण अवधि (Stabilization Period) परियोजना के क्रियाशील होने की तिथि (Date of Commissionig) से 6 माह से अधिक नहीं रखा जाएगा।

(ग) स्टेशन ऊष्मा दर (Station Heat Rate -SHR)

6.33 केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी किये गये अपने विनियमों में स्टेशन ऊष्मा दर (Station Heat Rate-SHR) 3800 किलोकैलोरी / किलोवॉट ऑवर रखे जाने का सुझाव दिया गया है। इससे पूर्व, आयोग द्वारा दिनांक 7.8.2007 को जारी किये गये आदेशों में स्टेशन ऊष्मा दर 3600 किलोकैलोरी/किलोवॉट ऑवर मानी गई थी।

6.34 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी किये गये अपने अवधारणा पत्र में स्टेशन ऊष्मा दर 3800 किलोकैलोरी/किलोवॉट ऑवर रखा जाना प्रस्तावित किया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा स्टेशन ऊष्मा दर 3800 किलोकैलोरी/किलोवॉट ऑवर से लेकर 4500 किलोकैलोरी/किलोवॉट ऑवर रखे जाने का सुझाव दिया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

6.35 आयोग ने हितधारकों के दृष्टिकोण पर यथोचित विचारोपरांत स्टेशन ऊष्मा दर (SHR) 3800 किलोकैलोरी/किलोवॉट ऑवर लिये जाने का निर्णय लिया है।

(घ) सकल उष्मित मूल्य (Gross Calorific Value-GCV)

6.36 केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों में सकल उष्मित मूल्य (GCV) 3612 किलोकैलोरी/किलोग्राम रखे जाने का सुझाव दिया गया है। इससे पूर्व, आयोग ने दिनांक 7.8.2007 को जारी अपने आदेश में सकल उष्मित मूल्य (GCV) 3325 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम रखे जाने का निर्णय लिया था।

6.37 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी अपने अवधारणा पत्र (Approach Paper) में सकल उष्मित मूल्य 3612 किलोकैलोरी/किलोग्राम रखा जाना प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा सकल उष्मित मूल्य 2500 किलोकैलोरी/किलोग्राम से लेकर 3300 किलोकैलोरी /किलोग्राम रखा जाना प्रस्तावित किया गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

6.38 आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हितधारकों के दृष्टिकोण पर यथोचित विचारोपरांत समस्त परियोजनाओं के लिए सकल उष्मित मूल्य (GCV) 3612 किलोकैलोरी/किलोग्राम रखे जाने का निर्णय लिया है।

(ड.) सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Power Consumption)

6.39 आयोग द्वारा माह दिसंबर, 2011 में जारी अपने अवधारणा पत्र (Approach Paper) में सहायक ऊर्जा खपत 10 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा सहायक ऊर्जा खपत हेतु 10 से 12 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत पृथक तौर पर जल द्वारा शीतलीकृत (water cooled) तथा वायु द्वारा शीतलीकृत (air cooled) हेतु रखे जाने का सुझाव दिया गया है। केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों में सहायक ऊर्जा खपत 10 प्रतिशत रखे जाने का प्रावधान किया गया है। आयोग द्वारा दिनांक 7.8.2007 को जारी अपने पूर्वादेशों में 10 प्रतिशत सहायक खपत का प्रावधान किया गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

6.40 आयोग द्वारा विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचारोपरांत सहायक ऊर्जा खपत को 10 प्रतिशत रखा जाना युक्तिसंगत होना माना गया है।

7. विद्युत–दर का अवधारण (Determination of Tariff) :

7.1 उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण के संबंध में माने गये विभिन्न मानदण्ड निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

क्रमांक	मानदण्ड	आयोग द्वारा निर्णीत
1	पूंजीगत लागत (रू. लाख प्रति मेगावाट में) विद्युत निष्क्रमण लागत को सम्मिलित करते हुए	450
2	संयंत्र कारक (PLF)(प्रतिशत में)	1. स्थिरीकरण अवधि के दौरान : 60 प्रतिशत 2. स्थिरीकरण के उपरांत संयंत्र के प्रचालन के प्रथम वर्ष की अवशेष अवधि के दौरान : 70 प्रतिशत 3. द्वितीय वर्ष के प्रारंभ से : 80 प्रतिशत
3	प्रचालन एवं संधारण व्यय	प्रथम वर्ष के दौरान पूंजीगत लागत के 4 प्रतिशत की दर से, तथा तत्पश्चात् प्रतिवर्ष 5.72 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुसार
4	संयंत्र का जीवनकाल (वर्षों में)	20
5	सहायक खपत (प्रतिशत में)	10
6	ईंधन की लागत, इस टैरिफ आदेश के जारी होने के तिथि से 31 मार्च, 2013 तक (रूपये प्रति मीट्रिक टन)	2100
7	स्टेशन ऊष्मा दर (किलोकैलोरी/किलोवॉट ऑवर)	3800
8	सकल उष्मित मूल्य (किलोकैलोरी/किलोग्राम)	3612

9	अवक्षयण/अवमूल्य (Depreciation)	प्रथम दस वर्षों के लिए, 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा तत्पश्चात् 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से
10	पूंजी पर प्रतिलाभ	16 प्रतिशत पूर्व कर
11	ऋण पर ब्याज, प्रतिवर्ष	12 प्रतिशत
12	ऋण–पूंजी अनुपात	70 : 30
13	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, निम्न हेतु i. एक माह के प्रचालन एवं संधारण व्यय ii. मानदण्डीय संयंत्र भार कारक (Nomative-PLF) पर आधारित पर दो माह के ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्य सामग्रियां iii. संधारण कलपुर्जे, संचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से iv. चार माह हेतु ईंधन की लागत	13 प्रतिशत

उपरोक्त मानदण्डों पर विचार करते हुए, आयोग नवीन बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन के संबंध में 20 वर्षीय परियोजना अवधि हेतु इस आदेश के जारी होने की तिथि से कार्यशील (कमीशन) होने वाली परियोजनाओं के संबंध में वर्षवार विद्युत–दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित करता है ।

(i) स्थाई शुल्क दर (Fixed Tariff)

विवरण	**वर्ष एक**		**वर्ष दो**	**वर्ष तीन**	**वर्ष चार**	**वर्ष पांच**	**वर्ष छः**	**वर्ष सात**	**वर्ष आठ**
	A*	B**							
विद्युत दर प्रति यूनिट (Tariff Rs/unit)	2.50	2.14	1.87	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71	1.69
	वर्ष नौ	**वर्ष दस**	**वर्ष ग्यारह**	**वर्ष बारह**	**वर्ष तेरह**	**वर्ष चौदह**	**वर्ष पन्द्रह**	**वर्ष सोलह**	**वर्ष सत्रह**
विद्युत दर प्रति यूनिट (Tariff Rs/unit)	1.66	1.64	1.29	1.33	1.37	1.42	1.47	1.53	1.58
	वर्ष अट्ठारह	**वर्ष उन्नीस**	**वर्ष बीस**						
विद्युत दर प्रति यूनिट (Tariff Rs/unit)	1.64	1.71	1.77						

(ii) परिवर्तनीय विद्युत–दर (Variable Tariff) इस विद्युत–दर आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक # = रूपये 2.66 प्रति किलोवॉट ऑवर अवधि A* के दौरान, रूपये 2.28

प्रति किलोवाट ऑवर अवधि B** के दौरान तथा रूपये 2.00 प्रति किलोवाट ऑवर C*** के दौरान।

अनुवर्ती अवधि हेतु परिवर्तनीय विद्युत–दर (Variable Tariff) प्रत्येक वर्ष के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व माह मार्च के दौरान घोषित की जाएगी।

***A** का तात्पर्य स्थिरीकरण (Stabilization) से है।

****B** का तात्पर्य स्थिरीकरण के दौरान प्रथम वर्ष की अवशेष अवधि से है।

*****C** का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रचालन के प्रथम वर्ष के बाद की अवधि से है।

8. अन्य निबंधन तथा शर्तें (Other Terms and Condition)

विद्युत अधिप्राप्ति हेतु बोली प्रक्रिया (Bidding for Power Requirement)

8.1 उपरोक्त दर्शाई गई विद्युत–दर अधिकतम विद्युत दर है तथा म.प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, विकासकों से बोलियों के आमंत्रण हेतु स्वतंत्र होगी। न्यूनतम विद्युत–दर (टैरिफ) की बोली लगाये जाने वाले विकासक को उत्पादित विद्युत को राज्य की विद्युत इकाईयों को विक्रय हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा।

8.2 विद्युत–दरें (टैरिफ), करों (taxes)/शुल्कों(duties)/उपकर(cess)/चुंगी(octroi), इत्यादि को सम्मिलित करते हुए हैं, सिवाय विद्युत के विक्रय पर विद्युत–शुल्क(Electricity duty)/उपकर (Cess) को छोड़कर। विद्युत शुल्क/उपकर, यदि वह विद्युत उत्पादकों द्वारा भुगतानयोग्य हों तो अधिप्राप्तिकर्ता (Procurer) द्वारा उपरोक्त विद्युत–दरों के अतिरिक्त इसकी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8.3 विकासक द्वारा अवधारित विद्युत–दर पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के विक्रय अनुबंध के निष्पादन उपरांत उसे (विकासक) तृतीय पक्षकार और/या कैप्टिव उपयोग के लिए विक्रय हेतु, केवल कण्डिका 8.21 से 8.23 में दर्शाई गई चूक संबंधी शर्तों को छोड़कर, स्थानांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

8.4 विद्युत–दरें तथा इसकी संरचना स्थाई होगी तथा इसमें विनिमय दर (exchange rate) में परिवर्तनों अथवा कानून या करों में परिवर्तन के अनुसार उतार–चढ़ाव नहीं होगा।

गतिवर्धित अवमूल्यन तथा आनुषंगिक विद्युत–दर (Accelerated Depreciation and consequential Tariff) :

8.5 उपरोक्त अवधारित की गई विद्युत–दरें ऐसी परियोजनाओं को लागू होंगी जो गतिवर्धित अवमूल्यन (accelerated depreciation) का लाभ प्राप्त नहीं करतीं। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त गतिवर्धित अवमूल्यन का लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाओं हेतु

अवधारित विद्युत–दर को ऐसी परियोजनाओं हेतु **रू. 0.10 प्रति यूनिट** कम कर दिया जाएगा। विद्युत–दर कमी किये जाने के संबंध में गणना किये जाने हेतु द्वितीय वर्ष के प्रारंभ होने से इसे 30.90 प्रतिशत की एकसमान आयकर दर से माना गया है जबकि प्रथम वर्ष हेतु इसे 33.22 प्रतिशत माना गया था।

विद्युत क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement) :

8.6 राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के विद्युत के थोक क्रय तथा थोक प्रदाय से संबंधित कृत्य, सम्पत्तियां, हित, अधिकार तथा दायित्व मय संबंधित अनुबंधों तथा व्यवस्थाओं के राज्य शासन को अंतरित तथा वेष्ठित किये गये हैं तथा राज्य शासन द्वारा पुनः इन्हें एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को अंतरित तथा वेष्ठित किया गया है। अतएव, आयोग निर्देश देता है कि बायोमास आधारित विद्युत उत्पादक इकाईयों द्वारा उत्पादित विद्युत की अधिप्राप्ति केन्द्रीकृत रूप से एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. द्वारा इस आदेश में निर्धारित की गई विद्युत–दरों पर की जाएगी। इस प्रकार अधिप्राप्त की गई विद्युत को एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. को तीन विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उनके वास्तविक ऊर्जा अंतरण के अनुपात में आवंटित किया जाएगा। तदनुसार, विद्युत क्रय अनुबंधों को विकासक (Developer) तथा एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के मध्य हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसी क्रम में एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों से एक के बाद एक (back to back) अनुबंध पृथक–पृथक निष्पादित किये जाएंगे। ये अनुबंध विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ पूर्णतया संयंत्र के क्रियाशील होने की तिथि से विद्युत के विक्रय/क्रय हेतु 20 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित किये जाएंगे।

8.7 विकासक को एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर से अनुबंध निष्पादित करने से पूर्व वांछित समस्त विधिक सम्मतियां (statutory consents) प्राप्त करनी होंगी।

पारेषण तथा चक्रण (Transmission & Wheeling)

8.8 तृतीय पक्षकार और/या कैप्टिव उपयोग हेतु विद्युत विक्रय हेतु खुली पहुंच प्रभार (Open Access Charges) का उद्ग्रहण मप्रविनिआ (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह उत्पादन तथा उत्पादन) पुनरीक्षण प्रथम, विनियम 2010 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

8.9 तृतीय पक्षकार विक्रय और/या कैप्टिव उपयोग हेतु विद्युत वितरण कंपनी, जिसके क्षेत्र में ऊर्जा की खपत की जा रही है {अन्तःक्षेपण बिन्दु पर ध्यान दिये बिना (irrespective of the point of injection)} द्वारा अन्तःक्षेपित ऊर्जा पर दो प्रतिशत की दर से, यूनिटों के रूप में कटौती की जाएगी। एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा परियोजना क्रियाशील होने की तिथि से दस

वर्ष के लिये राज्य सरकार से चक्रण प्रभारों (wheeling charges) हेतु अन्तःक्षेपित ऊर्जा के चार प्रतिशत की दर से सहायतानुदान (subsidy) का दावा किया जाएगा तथा परियोजना अवधि की शेष अवधि के लिये विकासक द्वारा दिनांक 12.10.2011 को म.प्र. शासन द्वारा प्रवर्तित मध्यप्रदेश में बायोमास आधारित विद्युत (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति, 2011 की कण्डिका 11.2 में दिये गये उपबंधों के अंतर्गत वहन की जाएगी। तत्पश्चात्, राज्य शासन से प्राप्त की गई अनुदान की राशि को अनुबंध में उल्लेखित आवंटन के आधार पर उक्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतरित कर दिया जाएगा जिनके कार्य क्षेत्र में ऊर्जा की खपत की जा रही है। जहां ऊर्जा का उत्पादन तथा वितरण एक ही परिसर में अनुज्ञप्तिधारियों के प्रणाली नेटवर्क को सन्निहित किये बिना निष्पादित किया जा रहा हो, वहां चक्रण प्रभार लागू न होंगे।

अनुसूचीकरण (Scheduling)

8.10 दो मेगावाट से अधिक क्षमता वाले बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन संयत्रों को 'अनुसूचीकरण (Scheduling)' तथा 'सुयोग्यता क्रम–प्रेषण सिद्धांतों (Merit order Dispatch Principles)' के अंतर्गत रखा गया है।

प्रतिक्रिय विद्युत प्रदाय (Reactive Power Supply) :

8.11 आयोग द्वारा ग्रिड से केवीएआरएच (KVARh) खपत हेतु प्रभारों का निर्धारण 27 पैसे प्रति यूनिट की दर से किया जाता है अर्थात, वह दर जो राज्य की वर्तमान प्रचलित दर है जिसे आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

8.12 रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का भुगतान विकासक द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में विद्युत उत्पादक इकाई स्थित है।

मीटरीकरण तथा बिलिंग (Metering & Billing)

8.13 मीटरीकरण व्यवस्था दिनांक 12.10.2011 को अधिसूचित म.प्र. शासन द्वारा प्रवर्तित ''मध्यप्रदेश बायोमास विद्युत (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति'' के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

8.14 मीटरीकृत ऊर्जा की बिलिंग मासिक आधार पर की जाएगी।

8.15 मीटर का वाचन तत्संबंधी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रणाली में ऊर्जा का अंतःक्षेपण किया जा रहा हो।

भुगतान विधि (Payment Mechanism)

8.16 यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि ग्रिड में विद्युत प्रदाय हेतु रोकड़–प्रवाह को कायम रखा जा सके, आयोग संबंधित विद्युत वितरण कंपनी हेतु देयक प्रस्तुति से 30 दिवस की निपटान अवधि निर्दिष्ट करता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विद्युत का अन्तःक्षेपण ग्रिड में किया जा रहा है।

8.17 एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पक्ष में देयक संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विद्युत अन्तःक्षेप की जा रही है, को प्रस्तुत किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्पश्चात देयकों का सत्यापन किया जाएगा तथा इन्हें देयकों की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर को विकासक के भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी, इसके बदले में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आवंटन के आधार पर देयकों को प्रस्तुत करेगी। यदि भुगतान के संबंध में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न हो तो ऐसी दशा में एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ऐसे देयकों की सम्पूर्ण राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के अंतर्गत विकासक को करेगी तथा तत्पश्चात विवादित प्रकरण को उसे आयोग को आदिष्ट करना होगा।

8.18 तीस दिवस की निर्धारित अवधि के पश्चात भुगतान किये जाने पर, एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को बकाया राशि अथवा उसके किसी अंश पर विलंबित भुगतान अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से करना होगा।

8.19 यदि एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, विकासक द्वारा प्रस्तुत देयकों का पूर्ण भुगतान निर्धारित तिथि से 15 दिवस के अंदर करती है तो ऐसी दशा में विकासक को त्वरित भुगतान के प्रति देयक राशि पर एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन अनुज्ञेय किया जाएगा। वैकल्पिक तौर पर, यदि एमपी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा देयक प्रस्तुत किये जाने पर विकासक को अविखण्डनीय साखपत्र (Irrevocable letter of credit) के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो ऐसी दशा में विकासक द्वारा देयक राशि पर दो प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन अनुज्ञेय किया जाएगा।

8.20 एमपी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार/प्रोत्साहन राशि को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतरित कर दिया जाएगा।

तृतीय पक्षकार विक्रय या इकाई को विद्युत विक्रय हेतु चूक संबंधी उपबंध (Default Provisions for Third Party sale or Sale to Utility)

8.21 यदि विकासक (Developer) को देयक की प्रस्तुति के 60 दिवस के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है (अर्थात, सामान्य भुगतान हेतु निर्धारित की गई तीस दिवस अवधि से अतिरिक्त तीस दिवस तक) तो ऐसी दशा में विकासक द्वारा एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को भुगतान किये जाने बाबत 15 पूर्ण दिवस का नोटिस जारी किया जा सकेगा। तथापि, यह कार्यवाही इस आदेश की धारा 8.16 के उपबंध के अनुसार एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी को विलम्बित भुगतान अधिभार के भुगतान से निर्मुक्त नहीं करेगी। यदि फिर भी एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी भुगतान नहीं करती है तो ऐसी दशा में विकासक किसी तृतीय पक्षकार को विद्युत विक्रय अनुज्ञेय किये जाने या कोई अन्य राहत की प्राप्ति के संबंध में आयोग से संपर्क किये जाने बाबत् स्वतंत्र होगा।

8.22 जहां विकासक (Developers) द्वारा तृतीय पक्षकार विद्युत प्रदाय अथवा कैप्टिव उपयोग हेतु व्यवस्था की गई है तथा ऐसे प्रकरण में जहां विकासक तृतीय पक्ष से अनुबंध का समापन या फिर कैप्टिव उपयोग को समाप्त कर रहा हो तथा किसी विद्युत इकाई (Utility) को विद्युत प्रदाय करने का इच्छुक हो तो इकाई द्वारा आयोग से पूर्व अनुमति प्राप्त कर, ऐसी विद्युत का क्रय किया जा सकेगा। यह भी कि विकासक जिसके द्वारा तृतीय पक्षकार से विद्युत प्रदाय अथवा कैप्टिव उपयोग हेतु व्यवस्था की गई है, द्वारा इकाई को ऊर्जा (आधिक्य ऊर्जा) के किसी अंश का विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा। ऐसे समस्त प्रकरणों में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विकासक को इस आदेश के अंतर्गत अवधारित परिवर्तनीय शुल्क (रू. 2.45 प्रति यूनिट की दर से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक) का भुगतान किया जाएगा।

8.23 परियेाजना विकासक को कैप्टिव उपयोग/तृतीय पक्षकार विक्रय हेतु लघु/दीर्घ/मध्यम अवधि खुली पहुंच हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी। खुली पहुंच प्रभार, जैसे कि वे प्रयोज्य हों, उद्ग्रहण किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत विक्रय के प्रकरण में इस प्रकार की अनुमति लागू नहीं होगी, अतएव इसे प्राप्त किया जाना आवश्यक न होगा।

विद्युत अवरोध के दौरान विद्युत का आहरण करना तथा ग्रिड के साथ संक्रामण करना (Drawing of Power during Shutdown and Synchronization with Grid) :

8.24 संयंत्र के विद्युत अवरोध (shutdown), ग्रिड के साथ संक्रामण की अवधि (Shutdown and Synchronization with Grid) के दौरान या फिर अन्य आकस्मिकताओं के दौरान संयंत्र को विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से विद्युत आहरण हेतु अधिकृत किया जाएगा। इस हेतु बिलिंग उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी (HT Industrial Category) के अंतर्गत प्रयोज्य अस्थाई दर के अनुसार की जाएगी।

जीवाश्म ईंधन के उपयोग हेतु अनुवीक्षण क्रियाविधि (Monitoring Mechanism for use of fossil fuel)

8.25 परियोजना विकासक द्वारा जीवाश्म तथा गैर–जीवाश्म ईंधन (fossil and non fossil fuel) उपयोग के अनुवीक्षण के प्रयोजन से आयोग द्वारा नामोदिष्ट उपयुक्त संस्था को सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) द्वारा यथाप्रमाणित मासिक ईंधन अधिप्राप्ति (Monthly fuel procurment) तथा ईंधन उपयोग विवरण–पत्र (fuel usage statement) प्रस्तुत किये जाएंगे। तथापि, जीवाश्म ईंधन उपयोग की शर्त के परिपालन का अनुवीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाएगा। इस विवरण–पत्र में निम्नांकित विवरण सम्मिलित किये जाएंगेः–

(क) माह के दौरान विद्युत उत्पादन के प्रयोजन से, प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन तथा जीवाश्म ईधन) हेतु अधिप्राप्त तथा खपत की गई ईंधन की मात्रा (मीट्रिक टन में);

(ख) प्रत्येक ईंधन प्रकार की अधिप्राप्त की गई ईंधन की संचयी मात्रा (मीट्रिक टन में) तथा जिसकी वर्ष के दौरान उक्त माह के अंत तक खपत की गई;

(ग) माह के दौरान, वास्तविक (सकल तथा शुद्ध) ऊर्जा उत्पादन (जिसे किलोवाट ऑवर में प्रदर्शित किया जाएगा);

(घ) वर्ष के दौरान उक्त माह के अंत तक, संचयी वास्तविक (सकल तथा शुद्ध) ऊर्जा उत्पादन (जिसे किलोवाट ऑवर में प्रदर्शित किया जाएगा);

(ड.) प्रारंभिक ईंधन भण्डार की मात्रा (मीट्रिक टन में);

(च) ऊर्जा संयंत्र स्थल पर प्राप्त की गई ईंधन की मात्रा (मीट्रिक टन में); तथा

(छ) ऊर्जा संयंत्र स्थल पर प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन हेतु) हेतु उपलब्ध ईंधन भण्डार की मात्रा का अंतिम शेष (मीट्रिक टन में)।

8.26 किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, परियोजना विकासक द्वारा जीवाश्म ईंधन उपयोग संबंधी शर्त का अपालन किया जाना ऐसे बायोमास ऊर्जा परियोजना विकासक को उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु अपात्र घोषित कर देगा। तथापि, ऐसे चूककर्ता द्वारा बायोमास विद्युत परियोजना से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का वितरण चूक (default) अवधि के दौरान भी इस टैरिफ आदेश के अनुसार अवधारित प्रयोज्य परिवर्तनीय शुल्क दर से रू. 1.00 प्रति किलोवाट ऑवर कम दर पर विद्युत का विक्रय जारी रखा जा सकेगा।

अन्य प्रयोज्य शर्तें (Other Applicable Conditions)

8.27 विकासक द्वारा परियोजना को स्थापित किये जाने के संबंध में समस्त वैधानिक स्वीकृतियां तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विकासक इनके परिपालन तथा नवीनीकरण हेतु, जैसा कि वे समय–समय पर लागू हों, के लिए भी उत्तरदायी होगा।

8.28 विकासक को यह सुनिश्चित करना होगा कि संयंत्र का प्रस्तावित स्थल केन्द्रीय/राज्य शासन के नीति संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार है।

8.29 न्यूनतम क्रय अर्हता, अधिकोषीकरण (बैंकिंग) तथा संविदा मांग में कमी किये जाने के संबंध में अन्य शर्तें यथासंशोधित मप्रविनिआ [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 के अनुसार लागू होंगी।

8.30 स्वच्छ विकास तंत्र का परस्पर आदान–प्रदान (sharing), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) संबंधी विनियम, यथा [CERC (Tariff for Renewal Energy Sources) Regulations, 2012] के उपबंधों के अनुसार होगा जिसका भाषान्तर निम्नानुसार है :

''स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism) लाभों को सकल आधार पर विभाजित किया जाएगा जो विकासकों हेतु क्रियाशील होने के प्रथम वर्ष के दौरान शत–प्रतिशत से प्रारंभ

होकर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ह्रासित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक विकासको व उपभोक्ताओं के मध्य घट कर छटवें वर्ष के दौरान यह बराबर (50 : 50) नहीं हो जाता। तत्पश्चात्, स्वच्छ विकास तंत्र के लाभों का बंटवारा लाभ प्राप्ति जारी रहने पर्यन्त बराबर–बराबर किया जाएगा।''

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वार्षिक राजस्व आवश्यकता के माध्यम से इस राशि का अंतरण उपभोक्ताओं को करना अनिवार्य होगा। विकासक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान स्वच्छ विकास तंत्र के माध्यम से प्राप्त लाभ के बारे में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दिनांक 15 अप्रैल तक सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

8.31 यदि तृतीय पक्षकार हेतु अन्तःक्षेपण एवं आहरण बिन्दु वितरण अनुज्ञप्तिधारितयों में से किसी के भी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, जिसके अंतर्गत पारेषण नेटवर्क सन्निहित हो तो ऐसी दशा में विकासक को एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी से अनुबंध निष्पादन से पूर्व एमपी ट्रांसमिशन कंपनी से थोक विद्युत पारेषण हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा यह भी कि विकासक को एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के साथ कोई पृथक अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. विद्यमान परियोजनाओं हेतु विद्युत–दर (Tariff for Existing Projects)

9.1 विद्यमान परियोजनाएं वे होती हैं जिनकी क्रियाशील होने की तिथि इस टैरिफ आदेश जारी होने से पूर्व की कोई तिथि हो। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इन परियोजनाओं की स्थापना इस प्रकार के पूंजी निवेश के दौरान प्रचलित शर्तों के आधार पर की गई थी,आयोग द्वारा निम्न शुल्क दरों के आधार पर विद्यमान परियोजनाओं से अनुमति प्रदान की जाती है जिसके अनुसार वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का विक्रय कर रहे थे :–

(i) दिनांक 07.08.2007 के आदेश के अनुसार स्थाई विद्युत–दर (Fixed Tariff)

विवरण	**वर्ष एक**	**वर्ष दो**	**वर्ष तीन**	**वर्ष चार**	**वर्ष पांच**	**वर्ष छः**	**वर्ष सात**	**वर्ष आठ**	**वर्ष नौ**
विद्युत दर प्रति यूनिट (Tariff Rs/unit)	1.91	1.87	1.83	1.79	1.75	1.72	1.68	1.65	1.62
विवरण	वर्ष दस	वर्ष ग्यारह	वर्ष बारह	वर्ष तेरह	वर्ष चौदह	वर्ष पन्द्रह	वर्ष सोलह	वर्ष सत्रह	वर्ष अठारह
विद्युत दर प्रति यूनिट (Tariff Rs/unit)	1.58	1.19	1.22	1.26	1.29	1.33	1.37	1.41	1.46
	वर्ष उन्नीस	**वर्ष बीस**							
विद्युत दर प्रति यूनिट (Tariff Rs/unit)	1.50	1.55							

(ii) उक्त अवधि हेतु इस टैरिफ आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक लागू परिवर्तनीय शुल्क दर (Variable Tariff)

= 2.45 X 65/80 प्रति किलोवॉट ऑवर = रू. 1.99 प्रति किलोवॉट ऑवर

टीप : उपरोक्त समस्त प्रकरणों के अंतर्गत, विकासक को विद्युत के क्रय हेतु विद्युत वितरण कंपनी को एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड से उपरोक्तानुसार दिनांक 31 मार्च, 2013 की अवधि तक तथा आयोग द्वारा अनुवर्ती वर्षों हेतु अवधारित किये जाने वाले परिवर्तनीय शुल्क के भुगतान हेतु एक अनुपूरक अनुबंध का निष्पादन भी करना होगा।

9.2 आयोग द्वारा स्वविवेक अनुसार स्वयं द्वारा प्रस्तावित स्वप्रेरणा द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या अन्य पक्षकारों द्वारा याचिका के रूप में प्रस्तुत आवेदनों पर स्वयं के आदेश की समीक्षा, इस प्रकार की समीक्षा के कारणों को दर्शाते हुए, जो आवश्यक हों, समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा इसके बारे में उपयुक्त समझा जाए।

तदनुसार आदेशित ।

हस्ता–	**हस्ता–**
(सी.एस. शर्मा)	**(राकेश साहनी)**
सदस्य	**अध्यक्ष**

स्थानः **भोपाल**

दिनांक : **2 मार्च, 2012**

————————

परिशिष्ट–1

हितधारकों की सूची जिनके द्वारा अपनी टिप्पणियां लिखित में प्रस्तुत की गई

क्रमाक	विवरण
1	मेसर्स हारवेस्ट एनर्जी प्रा. लिमिटेड, ई–7/88, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
2	मेसर्स शालीवाहना ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 1582, सातवां तल, मिनर्वा काम्पलेक्स, एसडी रोड, सिकन्दराबाद–500003
3	मेसर्स शालीवाहना (बायोमास) पावर प्रोजैक्ट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 1582, सातवां तल, मिनर्वा काम्पलेक्स, एसडी रोड, सिकन्दराबाद–500003
4	मेसर्स प्रज्ञा एनर्जी प्रा. लिमिटेड, 137–140, इण्डस्ट्रियल एरिया, रिछई, जबलपुर
5	श्री एम.सी. बंसल, ई–5/85, प्रथम तल, अरेरा कालोनी, भोपाल– 462016
6	मध्यप्रदेश बायोमास एनर्जी डेवलपर्स एसोसियेशन, मकान क्रमांक 6/4, साकेत नगर, भोपाल–462024
7	एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर– 482008
8	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., ब्लाक क्र. 7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008
9	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. जीपीएच कम्पाउंड, पोलो ग्राउण्ड, इंदौर
10	मेसर्स ए एस एन इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, 205, मेफेयर गार्डन्स, रोड 12, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद–34
11	कार्यालय आयुक्त, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मुख्य मार्ग क्रमांक 2, ऊर्जा भवन, पांच नंबर स्टाप के समीप, भोपाल–462016
12	ए2 जेड ग्रुप, 0–116, प्रथम तल, शॉपिंग मॉल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेस–1, गुड़गांव–122002 (हरियाणा)
13	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023

परिशिष्ट–2

सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित सहभागियों की सूची

क्रमाक	विवरण
1	मेसर्स हारवेस्ट एनर्जी प्रा. लिमिटेड, ई–7/88, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
2	मेसर्स शालीवाहना ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 1582, सातवां तल, मिनर्वा काम्पलेक्स, एसडी रोड, सिकन्दराबाद–500003
3	मेसर्स शालीवाहना (बायोमास) पावर प्रोजैक्ट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स 1582, सातवां तल, मिनर्वा काम्पलेक्स, 94 एसडी रोड, सिकन्दराबाद–500003
4	मध्यप्रदेश बायोमास एनर्जी डेवलपर्स एसोसियेशन, मकान क्रमांक 6/4, साकेत नगर, भोपाल–462024
5	एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर– 482008
6	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. ब्लाक क्र. 7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008
7	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. जीपीएच कम्पाउंड, पोलो ग्राउण्ड, इंदौर
8	मेसर्स ए एस एन इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, 205, मेफेयर गार्डन्स, रोड 12, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद–34
9	मेसर्स हेमाश्री एग्रो पावर प्रोजेक्टर लिमिटेड
10	मेसर्स सतपुड़ा पावर प्रा. लिमिटेड, भोपाल
11	मेसर्स बेतूल नॉन कान्वेंशनल एनर्जी प्रा. लिमिटेड, भोपाल